राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी – जय सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नंम्बर– 143/2013

1. मनीराम पुत्र स्व. श्री सीतला उर्फ सीताराम
2. बसन्ती देवी पत्नी स्व. मातूराम
3. राकेश कुमार पुत्र स्व. मातूराम
4. राजेश कुमार पुत्र स्व. मातूराम
5. रेखा पुत्री स्व. मातूराम
6. मुकेश पुत्री मातूराम

   जाति मेघवाल निवासी जसरापुर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

........वादीगण

ब–ना–म

1. निहालाराम पुत्र स्व. श्री सीतला उर्फ सीताराम (फौत)

1/1. शेरसिंह पुत्र स्व. निहालाराम

1/2. महेन्द्र सिंह पुत्र स्व. निहालाराम

2. बनारसी देवी पत्नी स्व. गुरूदयाल
   जाति मेघवाल निवासी जसरापुर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
3. बनारसी देवी पुत्री स्व. श्री सीतला उर्फ सीताराम जाति मेघवाल निवासी जसरापुर हाल आबाद झांझा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
4. मन्नी देवी पुत्री स्व. श्री सीतला उर्फ सीताराम जाति मेघवाल निवासी जसरापुर तहसील खेतडी हाल आबाद पदमपुरा तहसील चिड़ावा।
5. मुकेश कुमार पुत्र स्व. श्रीमती सीमा देवी पुत्री सीतला उर्फ सीताराम जाति मेघवाल निवासी ढाणी रावतावाला तन् त्यौंदा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
6. सुशीला पुत्री स्व. सीमा देवी पुत्री स्व. सीतला उर्फ सीताराम जाति मेघवाल निवासी ढाणी रावतावाला तन् त्यौंदा
7. संतोष पुत्री स्व. सीमा देवी पुत्री स्व. सीतला उर्फ सीताराम जाति मेघवाल निवासी ढाणी रावतावाला तन् त्यौंदा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
8. राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा जसरापुर तहसील खेतडी जरिये शाखा प्रबंधक।
9. उप पंजीयक, खेतडी जिला झुन्झुनू, राज0
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

........प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.10.28 13:03:24 IST
Reason: SelfAttested

दावा– घोषणात्मक, खातेदारी, विभाजन

व स्थाई निषेधाज्ञा

:: निर्णय :: **दिनांक 08–06–2022**

वादीगण की ओर से वाद पत्र इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम जसरापुर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज0 स्थित भूमि 497 रकबा 11 बीघा 2 बिस्वा

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

संवत् 2012 से पूर्व से ही वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 लगायत 7 के पूर्वज स्व. श्री सीतला उर्फ सीताराम के कब्जे काश्त में भी एवं राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज थी लेकिन सीतला उर्फ सीताराम के मृत्युपरान्त उक्त वर्णित भूमि की खातेदारी मृतक सीतला उर्फ सीताराम के बड़े बेटों व कर्ताधर्ता पुत्रों प्रतिवादी सं. 1 व प्रतिवादी सं. 2 के पति स्व. श्री गुरूदयाल के नाम से दर्ज हो गई तथा वादी सं. 1 व वादी सं. 2 के पति एवं 3 लगायत 6 के पिता स्व. श्री मातूराम तथा प्रतिवादी सं. 3 व 4 एवं प्रतिवादी सं. 5 व 6 की माता स्व. श्रीमती सीमा देवी उक्त भूमि की खातेदारी दर्ज होने के वक्त छोटे–छोटे बच्चे हाने से दर्ज नहीं हो सकी लेकिन प्रतिवादी सं. 1 व 2 का उक्त वर्णित भूमि में 1/7, 1/7 हिस्सा से अधिक भूमि पर अर्थात् वादी सं. 1 के 1/7 हिस्से व वादी सं. 2 लगायत 6 के 1/7 हिस्से व प्रतिवादी सं. 3 व 4 के 1/7, 1/7 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 5 लगा. 7 के 1/7 हिस्सा की भूमि पर कभी कोई कब्जा नहीं रहा है। भूमि गत खसरा नंबर 497 मी. के हाल खसरा नंबर 346 रकबा 0.25 है., ख.नं. 350 रकबा 0.16 है., ख.नं. 354 रकबा 1.35 है., ख. नं. 355 रकबा 0.16 है., ख.नं. 362 रकबा 0.71 है. कुल किता 5 कुल रकबा 2.63 है. बने है जो विवादित है। वादीगण व प्रतिवादी सं. 11 लगा. 7 स्व. सीतला उर्फ सीताराम के वारिश/उत्तराधिकारी है। वादी सं. 1 एवं वादी सं. 2 के पति वादी सं. 3 लगा. 6 के पिता स्व. श्री मातूराम तथा प्रतिवादी सं. 3 व 4 एवं प्रतिवादी सं. 5 लगा. 7 की माता सीमा देवी के बड़े भाई निहालाराम व प्रतिवादी सं. 2 के पति स्व. श्री गुरूदयाल होने से तथा परिवार में कर्ता खानदान थे। वाद वर्णित भूमि में वादी सं. 1 का 1/7 हिस्सा, वादी सं. 2 लगा. 6 का 1/7 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं. 1 का 1/7 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 2 का 1/7 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 3 का 1/7 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 4 का 1/7 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं. 5 लगा. 7 का 1/7 हिस्सा है। सभी ने बाहमी बंटवारा क रखा है एवं अपने–अपने हिस्से पर काश्त कर व आवासीय मकानात बनाकर कब्जा काश्त व आबाद है तथा लगातार कदीमी शांतिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा उक्त वाद वर्णित भूमि पुश्तैनी होने से लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है। जिसकी खातेदारी में वादीगण का नाम दर्ज होने से रह गया जो अब स्वयं वादी सं. 1 व स्व. मातूराम के वंशज दर्ज करवाना चाहते हैं। वाद वर्णित भूमि में वादी सं. 1 का 1/7 हिस्सा, वादी सं. 2 लगा. 6 का 1/7 हिस्सा है जिस पर वे काबिज काश्त है और वे खातेदार काश्तकार घोषित करवाने व अपने हिस्से का खाता विभाजन करवाने के अधिकारी है तथा प्रतिवादी सं. 1 व 2 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि जो गलत रूप से दर्ज है उसे रहन, बेचान आदि कर देते हैं तो वादीगण की अपूर्तनीय क्षति कारित होगी जिसका मुद्रा में मूल्यांकन नहीं किया जा सकेगा। अतः वादीगण प्रतिवादी सं. 1 व 2 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है।

अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि :–

(क) वाके ग्राम जसरापुर तहसील खेतड़ी स्थित भूमि गत खसरा नंबर 497 रकबा 11 बीधा 2 बिस्वा के हाल खसरा नंबर 346 रकबा 0.25 है., ख.नं. 350 रकबा 0.16 है., ख.नं. 354 रकबा 1.35 है., ख.नं. 355 रकबा 0.16 है., ख.नं. 362 रकबा 0.71 है. कुल किता 5 कुल रकबा 2.63 है. भूमि में वादी सं. 1 का 1/7 हिस्सा, वादी सं. 2 का 1/35 हिस्सा, वादी सं. 2 का 1/35 हिस्सा, वादी सं. 3 का 1/35 हिस्सा, वादी सं. 4 का 1/35 हिस्सा, वादी सं. 5 का 1/35 हिस्सा, वादी सं. 6 का 1/35 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादी सं. 1 का 1/7 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 2 का 1/7 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 3 का 1/7 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 4 का 1/7 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 5 लगा. 7 का 1/7 हिस्सा दुरूस्त किया जावे। इसके अनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाने की कृपा करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.10.28 13:03:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

(ख) वाके ग्राम जसरापुर तहसील खेतड़ी स्थित भूमि गत खसरा नंबर 497 रकबा 11 बीघा 2 बिस्वा के हाल खसरा नंबर 346 रकबा 0.25 है., ख.नं. 350 रकबा 0.16 है., ख.नं. 354 रकबा 1.35 है., ख.नं. 355 रकबा 0.16 है., ख.नं. 362 रकबा 0.71 है. कुल किता 5 कुल रकबा 2.63 है. भूमि में वादी सं. 1 का 1/7 हिस्सा, वादी सं. 2 का 1/35 हिस्सा, वादी सं. 2 का 1/35 हिस्सा, वादी सं. 3 का 1/35 हिस्सा, वादी सं. 4 का 1/35 हिस्सा, वादी सं. 5 का 1/35 हिस्सा, वादी सं. 6 का 1/35 हिस्सा का खाता अलग से विभाजित कर लगान भी अलग से कायम किया जाकर वादीगण के हिस्से की भूमि पर दख्ल वादीगण का करवाये जाने की कृपा करें।

(ग) प्रतिवादी सं. 1 व 2 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वाके ग्राम जसरापुर तहसील खेतड़ी स्थित भूमि गत खसरा नंबर 497 रकबा 11 बीघा 2 बिस्वा के हाल खसरा नंबर 346 रकबा 0.25 है., ख.नं. 350 रकबा 0.16 है., ख.नं. 354 रकबा 1.35 है., ख.नं. 355 रकबा 0.16 है., ख.नं. 362 रकबा 0.71 है. कुल किता 5 कुल रकबा 2.63 है. भूमि या इसके किसी भाग को अन्य किसी को बेचान, दान, रहन आदि हस्तानान्तरण ना करे व वादीगण के हिस्से की भूमि में कब्जा काश्त, फसल काटने, लाटने, रिहायश आदि में किसी प्रकार की बाधा/दख्लंदाजी ना करें। ऐसा ना स्वयं करें ना किसी परिचित, रिश्तेदारों आदि से करवाये तथा प्रतिवादी सं. 9, प्रतिवादी सं. 1 व 2 के द्वारा प्रस्तुत किसी भी दस्तावेज को पंजीबद्ध नहीं करें।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई। प्रतिवादी सं. 2 से 5 की ओर से इकबाली जवाब दावा प्रस्तुत वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री करने का निवेदन किया है। प्रतिवादी सं. 1/1 से 1/2 को जवाब दावा हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किये जाने के उपरान्त भी प्रतिवादी सं. 1/1 से 1/2 की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत नहीं किया गया, अतः जवाब अवसर प्रतिवादी सं. 1/1 से 1/2 बन्द किया गया। शेष प्रतिवादीगण सं. 6 से 10 बावजूद सम्यक् सूचना के अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादीगण की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य अभिलेख में जमाबंदी संवत् 2069–2072 खाता सं. 189 (प्रदर्श–1), मिलान क्षेत्रफल (प्रदर्श–2), नक्शा ट्रेस (प्रदर्श–3), जमाबंदी संवत् 2012 (प्रदर्श–4), संवत् 2027–2030 (प्रदर्श–5), फोटो प्रति मतदाता पहचान पत्र मातुराम (प्रदर्श–6ए), मनीराम (प्रदर्श–7ए), बसन्ती (प्रदर्श–8ए), राकेश (प्रदर्श–9ए), राजेश कमार (प्रदर्श–10ए), परिवार राशन कार्ड (प्रदर्श–11ए), मृत्यु प्रमाण पत्र मातुराम (प्रदर्श–12ए) पेश किये तथा साक्ष्य में शपथ पत्र मनीराम (पी.डब्ल्यू.–1), बसन्ती देवी (पी. डब्ल्यू.–2), राजेन्द्र प्रसाद मीणा (पी.डब्ल्यू.–3) भी पेश किये।

बहस विद्वान योग्य अधिवक्ता उभय पक्षकारान सुनी जाकर बतौर समाहत की गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात एवं वाद पत्र के अभिवचनों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी संवत् 2012 (प्रदर्श–4) में खसरा नंबर 497 रकबा 11 बीघा 2 बिस्वा सीतला पुत्र कुशाला चमार की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। उक्त सीतला की मृत्यु के बाद बनी जमाबन्दी संवत् 2027–2030 में भूमि खसरा नंबर 497 रकबा 11 बीघा 2 बिस्वा निहाल गुड़दयाल [illegible] की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड हुई। वाद पत्र के खण्ड सं. 3 में दर्ज [illegible] सीताराम की वंशावली अनुसार उक्त निहाल गुड़दयाल पि0 [illegible] बनारसी, मन्नी व सीमा पुत्र/पुत्रियां सीतला उर्फ सीताराम [illegible] मिलान क्षेत्रफल (प्रदर्श–2) के अवलोकन स्पष्ट है कि भूमि गत् खसरा नंबर 497 से [illegible] खसरा नंबर 346, 350, 354, 355, 362 निर्मित हुए हैं। उक्त वादग्रस्त भूमि वर्तमान जमाबन्दी संवत् 2073–2076 खाता संख्या 215 खसरा नंबर क्रमशः 346, 350, 354, 355, 362 कुल किता 5 कुल रकबा 2.63 है. में बनारसी पत्नी गुरूदयाल हिस्सा 1/2, महेन्द्र पुत्र निहाला हिस्सा 1/4, शेरसिंह पुत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.10.28 13:03:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

निहाला हिस्सा 1/4 जाति मेघवाल सा.देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। उक्त वादग्रस्त भूमि पैतृक भूमि है जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 3 से 6 के पूर्वाधिकारियों की खातेदारी में दर्ज नहीं हो सकी तथा अब वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 3 से 6 की खातेदारी में दर्ज नहीं हुई जो दुरूस्ती योग्य है। पक्षकारान ने दिनांक 13–05–2022 को एक प्रार्थना पत्र पेश कर उक्त वाद पत्र के जरिये केवल खातेदारी अधिकारों की घोषणा किये जाने का अनुतोष दिये जाने का निवेदन किया है। उक्त प्रार्थना पत्र पर विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान को सुना जाकर उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 13–05–2022 को स्वीकार किया गया। इस प्रकार उपरोक्त विवेचन स्वरूप वाद वादीगण संदेह से परे साबित होता है। लिहाजा

आदेश

अतः ग्राम जसरापुर तहसील खेतड़ी स्थित भूमि जमाबन्दी संवत् 2073–2076 खाता संख्या 215 के खसरा नंबर क्रमशः 346, 350, 354, 355, 362 कुल किता 5 कुल रकबा 2. 63 है. भूमि में वर्तमान दर्ज खातेदार प्रतिवादी सं. 1/1 से 1/2 व प्रतिवादिया सं. 2 का हिस्सा हजफ किया जाकर वादी सं. 1 को 1/7 हिस्से का, वादी सं. 2 से 6 को संयुक्त रूप से 1/7 हिस्से का, प्रतिवादी सं. 1/1 व 1/2 को 1/7 हिस्से का, प्रतिवादी सं. 2 से 4 प्रत्येक को 1/7–1/7 हिस्से का तथा प्रतिवादी सं. 5 से 7 को संयुक्त रूप से 1/7 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का तहसीलदार खेतड़ी को आदेश दिया जाता है। उक्तानुसार अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 08–06–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.10.28 13:03:24 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, खेतड़ी जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारी – जय सिंह, आर.ए.एस.

उनवान

1. मनीराम पुत्र स्व. श्री सीतला उर्फ सीताराम
2. बसन्ती देवी पत्नी स्व. मातूराम
3. राकेश कुमार पुत्र स्व. मातूराम
4. राजेश कुमार पुत्र स्व. मातूराम
5. रेखा पुत्री स्व. मातूराम
6. मुकेश पुत्री मातूराम
   जाति मेघवाल निवासी जसरापुर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

ब–ना–म

1\. निहालाराम पुत्र स्व. श्री सीतला उर्फ सीताराम (फौत)

1/1. शेरसिंह पुत्र स्व. निहालाराम

1/2. महेन्द्र सिंह पुत्र स्व. निहालाराम

2\. बनारसी देवी पत्नी स्व. गुरूदयाल
जाति मेघवाल निवासी जसरापुर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

3\. बनारसी देवी पुत्री स्व. श्री सीतला उर्फ सीताराम जाति मेघवाल निवासी जसरापुर हाल आबाद झांझा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0

4\. मन्नी देवी पुत्री स्व. श्री सीतला उर्फ सीताराम जाति मेघवाल निवासी जसरापुर तहसील खेतड़ी हाल आबाद पदमपुरा तहसील चिड़ावा।

5\. मुकेश कुमार पुत्र स्व. श्रीमती सीमा देवी पुत्री सीतला उर्फ सीताराम जाति मेघवाल निवासी ढाणी रावतावाला तन् त्यौंदा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

6\. सुशीला पुत्री स्व. सीमा देवी पुत्री स्व. सीतला उर्फ सीताराम जाति मेघवाल निवासी ढाणी रावतावाला तन् त्यौंदा

7\. संतोष पुत्री स्व. सीमा देवी पुत्री स्व. सीतला उर्फ सीताराम जाति मेघवाल निवासी ढाणी रावतावाला तन् त्यौंदा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज0

8\. राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा जसरापुर तहसील खेतड़ी जरिये शाखा प्रबंधक।

9\. उप पंजीयक, खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

10\. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.10.28 13:03:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

दावा बाबत **घोषणात्मक खातेदारी, खाता विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा**

मुकदमा नम्बर :– **143/2013**

निर्णय दिनांक :– **08–06–2022**

वादीगण की ओर से **श्री हवासिंह बबेरवाल एडवोकेट** की व प्रतिवादीगण की ओर से .... की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख **08–06–2022** को मेरे समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि –

"अतः ग्राम जसरापुर तहसील खेतड़ी स्थित भूमि जमाबन्दी संवत् 2073–2076 खाता संख्या 215 के खसरा नंबर क्रमशः 346, 350, 354, 355, 362 कुल किता 5 कुल रकबा 2.63 है. भूमि में वर्तमान दर्ज खातेदार प्रतिवादी सं. 1/1 से 1/2 व प्रतिवादिया सं. 2 का हिस्सा हजफ किया जाकर वादी सं. 1 को 1/7 हिस्से का, वादी सं. 2 से 6 को संयुक्त रूप से 1/7 हिस्से का, प्रतिवादी सं. 1/1 व 1/2 को 1/7 हिस्से का, प्रतिवादी सं. 2 से 4 प्रत्येक को 1/7–1/7 हिस्से का तथा प्रतिवादी सं. 5 से 7 को संयुक्त रूप से 1/7 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का तहसीलदार खेतड़ी को आदेश दिया जाता है।"

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख **08–06–2022** को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.10.28 13:03:24 IST
Reason: SelfAttested